ई–मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः ७५७७ /14–1 (13881/2015) दिनांकःअलीगढ़, अप्रैलः २४ ,2024

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post-facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भः– 1– भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0 दिनांक 01.02.2024.
2. आपका पत्रांक– 1892/11सी–FP/UP/others/13881/2015 दि0 02.02.2024.
3–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक–3573/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 18.03.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक–3573/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 18.03.2024 से इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार संस्तुति सहित ऑनलाइन संलग्न कर प्रेषित हैः–

S.No.	Objection	Reply
1	Detailed note from the concerned DFO on action taken against the officials for not being able to prevent violation of FCA needs to be submitted.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये जाने एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने के फलस्वरूप प्रस्तावित स्थल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्न प्रकार कार्यवाही की गई हैः– 1. श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक–1438/2–1, दिनांक 30.10.2019 (**संलग्नक–1**) द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गई, परन्तु निर्धारित समय के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर न दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में उल्लंघन के सम्बन्ध में आख्या सक्षम अधिकारी को दण्ड हेतु प्रेषित की गई है।(**संलग्नक–2**) 2. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1437/2–1, दिनांक 30.10.2019 (**संलग्नक–3**) द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गई। श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं।(**संलग्नक–4**)

		3. श्री परशुराम, माली को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्र संख्या–3832/2–1, दिनांक 03.05.2019 (**संलग्नक–5**) द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गई। श्री परशुराम, माली वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण में दण्ड पारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं। (**संलग्नक–6**)
2	Penal CA twice of the proposed CA and related documents needs to be submitted.	भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–F-No.11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पैरा संख्या–पैरा 1.21 (ii) के तहत् वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रभावित संरक्षित वन भूमि के अधिकतम पॉच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देशानुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना कर गणना शीट संलग्न है। (**संलग्नक–7**)

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी–वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि–डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3 नोयडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी–वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3573/Aligarh/13881/UP-134/2015 अलीगढ़: दिनांक: मार्च 18, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक–8बी/यू.पी./06/34/2018/एफ.सी. दिनांक 01.02.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1892/11सी–FP/UP/Approach/13881/2015 दिनांक 02.02.2024

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर, संशोधित प्रस्ताव संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

S.No.	Objection	Reply
1	Detailed note from the concerned DFO on action taken against the officials for not being able to prevent violation of FCA needs to be submitted.	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही किये जाने एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने के फलस्वरूप प्रस्तावित स्थल पर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न प्रकार कार्यवाही की गयी है– 1. श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1438/2–1 दिनांक 30.10.2019 **(संलग्नक–1)** द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गयी, परन्तु निर्धारित समय के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर न दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में उल्लंघन के सम्बन्ध में आख्या सक्षम अधिकारी को दण्ड हेतु प्रेषित की गयी है। **(संलग्नक–2)** 2. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1437/2–1 दिनांक 30.10.2019 **(संलग्नक–3)** द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गयी। श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम

D. Man
आ0का0कर्
वन संरक्षक
19/3

E:\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol Pump Ukhlana\CA Scheme.doc

		अधिकारी द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)** 3. श्री परसराम, माली को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्र संख्या–3832/2–1 दिनांक 03.05.2019 **(संलग्नक–5)** द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें 15 दिन का समय देते हुए अपना पक्ष/उत्तर देने की अपेक्षा की गयी। श्री परसराम, माली वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण में दण्ड पारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं। **(संलग्नक–6)**
2	Penal CA twice of the proposed CA and related documents needs to be submitted.	भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पैरा संख्या–पैरा 1.21 (ii) के तहत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के प्रकरणों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रभावित संरक्षित वनभूमि के अधिकतम पांच (5) गुना दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की धनराशि जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः निर्देशानुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना कर गणना शीट संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(संलग्नक-7)

भवदीय,

18/03/24

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / **दिनांकित**

प्रतिलिपिः– डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

ई–मेल: cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1430 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ःअक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री वेदप्रकाश,
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि0),
सम्बद्ध– कार्यालय कासगंज वन प्रभाग,
कासगंज।

द्वारा:– प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

विषयः– कारण बताओ नोटिस।

आपकी अलीगढ़ रेंज में प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में पायी गयीं कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में "प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।" जिसके कम में प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर रेंज एच–2 केस संख्या–32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में उक्त पारेषण लाइन के निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
29.10.2022

एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पत्रीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः—

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 की छायाप्रति।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.10.2019 की छायाप्रति।
3. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11—42/2017—एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1438 /2—1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति प्रभारी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि0) को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रभारित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
28·10·2022

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

संलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 4589 /2–1, दिनांकः अलीगढ़ः जून 03 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में।**
सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2864/2–1, दिनांक 10.04.2023

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की वांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही न किये जाने के प्रकरण में श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरूद्ध वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक 1438/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 18.02.2021 में उल्लिखित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अपने उत्तर दिनांक 18.02.2021 में अवगत कराया गया कि " अलीगढ़ रेंज में प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में तैनाती की अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बॉयी पटरी पर ग्राम उखलाना खसरा सं0–1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है, के क्रम में निवेदन करना है कि प्रार्थी की तैनाती अलीगढ़ रेंज में दिनांक 15.10.2018 को हुई जबकि नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रार्थी की तैनाती से पूर्व किया जा चुका था। उक्त प्रकरण मेरी जानकारी में आने पर तत्काल श्री परसराम, माली वीट प्रभारी व श्री इन्द्रजीत सिंह, सैक्शन प्रभारी धनीपुर द्वारा तत्काल विधिक कार्यवाही कर सुसंगत धाराओं में वन अपराध सं0–32/अलीगढ़/18–19 दिनांक 23.02.2019 केस दर्ज किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपराध के संज्ञान में आने पर अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, प्रार्थी उक्त अपराध हो जाने के लिए दोषी नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी के दिनांक 27.02.2019 को चार्ज छोड़ने समय तक जॉच में था। प्रभाग से प्राप्त सूचना में भी केस की अद्यतन प्रविष्टि अंकित नहीं है। प्राप्त सूचना की छायाप्रति संलग्न कर इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण से मुक्त करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

अपचारी कर्मचारी द्वारा स्वंय अपने उत्तर में लिखा है कि अक्टूबर 2018 से पूर्व नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका था अर्थात संरक्षित वन क्षेत्र में अक्टूबर 2018 से पूर्व अतिक्रमण हो चुका था तथा वन अपराध दिनांक 23.02.2019 को पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही तत्काल एवं वन अपराध घटित होने के बाद विलम्ब से करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अतः श्री वेदप्रकाश, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के उक्त कथन से सहमति व्यक्त नहीं की जाती है एवं वह प्रकरण में दोषी है।

भवदीय,

02/06/23

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,अलीगढ़।

16.E/0/EC Branch/General Letter/Spastikaran &Karanbatao Notice/Showcause Notice Durgpal Singh, Forest Guard

(8/2)
संलग्नक-3

ई–मेलः cfaligarh@gmail.co

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1437 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ःअक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद्
धनीपुर सेक्शन, अलीगढ़ रेंज।

द्वाराः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषयः– कारण बताओ नोटिस।

आप अलीगढ़ रेंज में सेक्शन प्रभारी धनीपुर सेक्शन के रूप में आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में पायी गयीं कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में **"प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।"** जिसके कम में प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर रेंज एच–2 केस संख्या–32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में उक्त पारेषण लाइन के निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके द्वारा अपने

प्रमाणित

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh

...ीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।
लिखित साक्ष्यः—

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 की छायाप्रति।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.10.2019 की छायाप्रति।
3. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11—42/2017—एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1437 /2—1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति वनविद् को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
२8.10.२०२२

संलग्नक-4

कार्यालय, वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

अनूपशहर रोड़ कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़ पिन-202122, ई-मेलः cfaligarh@gmail.com दूरभाष-0571-2970088

वनादेश सं0- 05 /2-1, दिनांकःअलीगढ़ःजुलाई 15 ,2022

आदेश

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी धनीपुर सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 1437/2-1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक 18.12.2019 जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 2394/2-1, दिनांक 27.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया। इस कार्यालय के पत्रांक 3421/2-1, दिनांक 26.06.2020 द्वारा अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 18.12.2019 के कम में आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 138/2-1, दिनांक 13.07.2022 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी। कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दु, अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

कारण बताओ नोटिस में आरोपित बिन्दुः-

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी धनीपुर सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार आयल लि0 द्वारा अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 15.150 की बॉयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा सं0-1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया। प्रस्ताव में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30, दिनांक 12.04.2018 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में **"प्रस्तावित वन भूमि के के0एम0एल0 फाइल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।"** जिसके कम में प्रस्तावित स्थल की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार आयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट के आने जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड़ का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार आयल लि0 द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 15.150 की बॉयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा सं0-1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर एच-2 केस संख्या-32/18-19/अलीगढ़ दिनांक 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया है। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लिए दोषी है।

अपचारी कर्मचारी का उत्तर दिनांक 18.12.2019

प्रार्थी दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन में सैक्शन प्रभारी का कार्यभार देख रहा है। प्रार्थी द्वारा धनीपुर सैक्शन का कार्यभार देखने के उपरान्त एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 15.150 की बॉयी पटरी खसरा सं0-1470 ग्राम उखलाना, तहसील-कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण करने का प्रार्थी द्वारा एच-2 केस जारी किया गया, जिसका रेंज केस संख्या-32/2018-19/अलीगढ़ दिनांक 23.02.2019 है, जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन का कार्य देखना शुरू किया था और नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण 31.01.2016 से पहले किया गया है, क्योंकि कार्यालय अपर जिलाधिकारी

CF Office E.C.Branch/Karan Batao notice

प्रशासन, अलीगढ़ के पत्रांक संख्या–1047/जि0पू0अ0/पेट्रो0अनु0/15, दिनांक 31.01.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र(सप्लाई आदेश) जारी किया गया है।

अतः प्रार्थी के कार्यकाल से पूर्व स्थापित की गयी पेट्रोल पम्प पर तत्कालीन बीट प्रभारियों व सैक्शन प्रभारियों, वन क्षेत्राधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है तथा उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने कार्यकाल के समय में विधियत कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी के संलग्न साक्ष्यों पर विचार करते हुए निर्दोष करने की कृपा करें।

<u>प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्याः–</u>

एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही न किये जाने के प्रकरण में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के विरूद्ध वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक 1437/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 18.12.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा अपने उत्तर दिनांक 18.12.2019 में अवगत कराया गया कि "प्रार्थी दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन में सैक्शन प्रभारी का कार्यभार देख रहा है। प्रार्थी द्वारा धनीपुर सैक्शन का कार्यभार देखने के उपरान्त एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण करने का प्रार्थी द्वारा एच–2 केस जारी किया गया जिसका रेंज केस सं0–32/अलीगढ़/18–19 दिनांक 23.02.2019 है। जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.12.2018 से धनीपुर सैक्शन का कार्य देखना शुरू किया था और नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग का निर्माण 31.01.2016 से पहले किया गया है क्योंकि कार्यालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन अलीगढ़ के पत्रांक 1047/जि0पू0अ0/पेट्रो0अनु0/15 दिनांक 31.01.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र (सप्लाई आदेश) जारी किया गया है। श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के उक्त कथन से सहमति व्यक्त की जाती है एवं वह प्रकरण में दोषी नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी खसरा सं0–1470 ग्राम उखलाना, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य करने के क्रम में अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल में रेंज एच–2 केस संख्या–32/अलीगढ़/18–19 दिनांक 23.02.2019 जारी किया गया तथा नवीन रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग का निर्माण दिनांक 31.01.2016 से पहले किये जाने के फलस्वरूप प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा आख्या में अपचारी कर्मचारी को प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण में निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर, अपचारी कर्मचारी के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या तथा समस्त साक्ष्यों व अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद(सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रचलित "कारण बताओ नोटिस" के प्रकरण को बिना दण्ड समाप्त करते हुए एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

<u>पत्रांक 117 /2–1, समदिनांकित।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
3. गार्ड बुक/पत्रावली।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(3) संलग्नक-(6)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 3832/2–1 ,अलीगढः दिनांकः ~~अप्रैल,~~ 03 मई ,2019

सेवा में,

श्री परसराम, माली
हरदुआगंज बीट, अलीगढ़ रेंज।

विषयः कारण बताओ नोटिस।
द्वाराः क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज।

आप अलीगढ़ रेंज में प्रभारी हरदुआगंज बीट के रूप में आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपत्तियां लगायी गयी हैं। **प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।** प्रस्तावित स्थल के पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण दिनांक 20.02.2019 के दौरान पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उक्त प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कर लिया है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त संरक्षित वन पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रयास नहीं किया। जिसके कारणवश प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

इस प्रकरण में आप अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि क्यों प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु सफल प्रयास नहीं किया गया द उक्त कार्य समयवद्ध है, उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय निर्णय लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिये आप स्वय उत्तरदायी होगें।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांकः 3832/2–1 समदिनांकित।
प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज को पत्र की 2 प्रति इस आशय से प्रेषित कि आप एक प्रति कर्मचारी को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को लौटती डाक से उपलब्ध करायें।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh

संलग्नक-6

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 4640 /2–1, दिनांक:अलीगढ़: जून 07- ,2022

आदेश

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की अलीगढ़ रेंज के अन्तर्गत श्री परसराम, माली के हरदुआगंज वीट में प्रभारी के रूप में तैनात रहने की अवधि में वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 3832/2–1, दिनांक 03.05.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दु का विवरण निम्न प्रकार है :–

कारण बताओ नोटिस में आरोपित बिन्दु :–

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की अलीगढ़ रेंज के अन्तर्गत श्री परसराम, माली के हरदुआगंज वीट मे प्रभारी के रूप में तैनात रहने की अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बॉयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/34/2018/FC/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपित्त लगायी गई है। प्रस्तावित वन भूमि के के0एम0एल0 फाइल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है। प्रस्तावित स्थल से पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण दिनांक 20.02.2019 के दौरान पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उक्त प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त संरक्षित वन पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। जिसके कारणवश प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। इस प्रकरण में आप अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें क्योंकि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु सफल प्रयास नहीं किया गया। उक्त कार्य समयबद्ध है। उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपचारी कर्मचारी श्री परसराम माली (सेवानिवृत्त) द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है। प्रकरण में निर्गत कारण बताओ नोटिस एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित न करना तथा समस्त साक्ष्यों व अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपचारी कर्मचारी श्री परसराम, माली (सेवानिवृत्त) को निन्दित करते हुए प्रकरण को एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

05/06/23
(दिवाकर कुमार वरिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक: 4640/2–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वनाधिकारी अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति श्री परसराम, माली (सेवानिवृत्त) को प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

05/06/23
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

17 E4/EC Branch/General Letter/Spastikaran &Karanbatan Notice/Showcause Notice Durgpal Singh, Forest Guard

संलग्नक-7

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में **Penalty** की गणना

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलना के खसरा सं0–1470 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0– प्रभावित वन भूमि (0.0768) × 9,57,780 = 73,557.00
2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण – 5 × 73,557 = 3,67,785.00
3. 12 प्रतिशत Simple Interest = 3,67,785 × 12% = 44,134.00
4. पांच वर्ष की एन0पी0वी0 पर एक वर्ष का ब्याज (44134/5) = 8,827.00
5. सात वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (8827 × 8) (आठ वर्ष से उल्लंघन के कारण) = 70,616.00
6. पांच वर्ष की एन0पी0वी0 आठ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (367785 + 70616) = 4,38,401.00

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।